JPD-6/ 525

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय वरिष्ठ लेखाधिकारी (बिलिंग)

प्रभास्मि शशि सूर्ययोः

शेड नं. 2, पुराना पावर हाउस, बनीपार्क, जयपुर–302016,
वेबसाईटः–www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
ई–मेलः–sraobilling@jvvnl.org

क्रमांक. जे.पी.डी. / व.ले.अ. (बिलिंग) / पत्रा. 724(v) / प्रे. 643 जयपुर, दिनांकः 20 अक्टूबर, 2020

आदेश

हालिया दिनांक 29 सितम्बर को श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम की अध्यक्षता में वी.सी के ज़रिये आहूत समीक्षा बैठक में उपभोक्ताओ और अधिक सहूलियतें मुहैया करवाने की दुष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि डिस्कॉम द्वारा बिजली मित्र एप में एक नया फीचर "Self Bill Generation" जोड़ा जायेगा जिसमें उपभोक्ता स्वयं अपनी मीटर रीडिंग डाल कर, उनके द्वारा देय विद्युत बिल की जानकारी हासिल कर सकेंगे । उपरोक्त निर्णय की क्रियान्विति हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं बिलिंग ऐजेन्सी को निम्नानुसार विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. मैसर्स बी.सी.आई.टी.एस. द्वारा बिजली मित्र एप में एक नया फीचर / मोड्यूल जोड़ा जायेगा जिससे उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड के. नम्बर (K.No.) की मीटर रीडिंग एवं फोटो अपलोड़ कर सकेंगे।
2. यह सुविधा आरम्भ मे केवल घरेलू श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के लिए होगी जिनका स्वीकृत भार 18.65किलोवाट (25 हॉर्स पॉवर) तक है एवं जिन्हे सामान्यतः स्पॉट पर बिल जारी किया जाता है।
3. उपभोक्ता केवल एक बिलिंग माह में एक ही बार मीटर रीडिंग मय फोटो अपलोड कर स्वयं अपने स्तर पर विद्युत बिल जनरेट कर सकेंगे।
4. "Self Bill Generation" में केवल मीटर द्वारा प्रदर्शित वास्तविक उपभोग पठन का ही बिल ही जारी किया जा सकेगा। उपभोक्ता स्वयं मीटर डिफेक्टिव अथवा प्रोविजनल आधार पर बिल जनरेट नही कर सकेंगे।
5. फीड़र इंचार्ज द्वारा स्पॉट पर यदि उपभोक्ता को बिल जारी कर दिया गया है, तो उपभोक्ता "Self Bill Generation" के माध्यम से अपना बिल जनरेट नहीं कर सकेगा। लेकिन निगम द्वारा यदि प्रोविज़नल आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है तो उपभोक्ता स्वयं अपने स्तर पर उपरोक्त ऐप के जरिये वास्तविक मीटर रीडिंग का विद्युत बिल जनरेट कर सकेगा।
6. उपभोक्ता लगातार दो बिलिंग माह तक "Self Bill Generation" सुविधा का उपयोग करते हुए वद्युत बिल जनरेट कर सकेगा एवं उसके पश्चात् अग्रिम माह में निगम के मीटर रीड़र अथवा फीडर इंचार्ज द्वारा ही विद्युत बिल जारी किया जा

जायेगा। उसके पश्चात् उपभोक्ता तद्नुसार इसी क्रम में पुनः इस सुविधा का लाभ आगामी दो बिलिंग माह तक प्राप्त कर सकता है।

7. बिलिंग एजेन्सी यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्पॉट बिल के दौरान सही बिल जारी किये जाने हेतु जो वैधता (validation) लगाये हुए हैं वो "Self Bill Generation" पर भी लागू रहेंगे।
8. बिलिंग एजेन्सी प्रचलित टैरिफ दर के अनुसार उपभोक्ता द्वारा डाली गई मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल जनरेट करेगी।
9. बिलिंग एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल जारी करते समय विद्युत बिल पर "Self Bill Generation subject to meter reading verification by JVVNL" आवश्यक रूप से प्रदर्शित होगा।
10. उप–खण्ड़ के सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा "Self Bill Generation" की मीटर रीडिंग में यदि असामान्य विचरण पाया जाता है तो मीटर प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ताओं की रीडिंग का सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापित मीटर रीडिंग के आधार पर ही संशोधित विद्युत बिल जारी किया जायेगा।
11. यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल जनरेट कर लिया जाता है तो बिलिंग एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि स्वयं बिल जनरेट वाले उपभोक्ता का फीडर इन्चार्ज द्वारा पुनः विद्युत बिल जनरेट नही किया जा सके।
12. ऐसे उपभोक्ताओं की सूची सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी के डैशबोर्ड के साथ–साथ मीटर प्रकोष्ठ के डैशबोर्ड पर भी सतत निगरानी हेतु उपलब्ध रहेगी।

(खेमचन्द्र)
वरिष्ठ लेखाधिकारी (बिलिंग)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (   ), जयपुर डिस्कॉम,......................।
2. मुख्य लेखाधिकारी (   ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (पवस/जेसीसी/जेपीडीसी), जयपुर डिस्कॉम, ...।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (   ), जयपुर डिस्कॉम, ...।
5. निजी सहायक प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक (वित्त/तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. मैसर्स बी.सी.आई.टी.एस लि., जी– 19/20, मेट्रोपोलीस टॉवर, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड., जयपुर– 302019।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (बिलिंग)